पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

सूचना का अधिकार

पावरग्रिड

CP/RTI/2016/177 Date: 24th August, 2016

Shri Upendra Kumar
Advocate
Chamber. No.3, New building
Civil Court, Ghaziabad
U.P. 201001

Sub: **Information under Right to Information Act, 2005 (Application Nos. 177 dated 08.08.2016.)**

Dear Mr. Kumar,

This has reference to your online RTI request dated 8th August, 2016 and letter from Ministry of Power dated 8th August, 2016 forwarding your RTI request, seeking information under RTI Act, 2005.

Information sought is attached at **Annex-I.**

First Appeal, if any, against the reply of CPIO may be made to the first appellate Authority within 30 days of the receipt of the reply of CPIO. Details of Appellate Authority at Corporate Centre, Gurgaon, under RTI Act, 2005 is as below:

Executive Director (CP) & Appellate Authority
Corporate Centre, Power Grid Corporation of India Limited
"Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon – 122007, Haryana.
Phone No. 0124-2571960

Thanking you,

भवदीय,

सतीश 24/8/16

(सतीश कुमार जे.)
उप महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी
Phone No. 0124-2822746
Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

ANNEX - 1

प्रश्न : 1 : किसी की निजी भूमि पर हाई टेंशन लाईन के टावर लगाने के लिए कोई मुआवजा दिया जाता है ?

उत्तर : 1 : पावरग्रिड कारपोरेशन औफ इंडिया द्वारा हाई टेंशन लाईन के टावर लगाने के दौरान हुए नुकसान के एवज में भारतीय तार अधिनियम,1885 के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।

प्रश्न : 2 : कितने के. वी. की हाई टेंशन लाईन के टावर लगाने के लिए मुआवजा दिया गया है?

उत्तर : 2 : पावरग्रिड अपनी सभी लाईनों को स्थापित करने के दौरान हुए नुकसान के एवज में भूमि के उत्तराधिकारियों को मुआवजा देती है।

प्रश्न : 3 : यदि मुआवजा दिया जाता है तो कितना और किस प्रकार ?

उत्तर: 3 : इस प्रश्न का उत्तर 1 में उल्लेखित है।

प्रश्न : 4 : हाई टेंशन लाईन के टावर व कॉरीडोर का मुआवजा किस विभाग द्वारा दिया जाता है?

उत्तर : 4 : हाई टेंशन लाईन के टावर व कॉरीडोर में कार्य के दौरान हुए नुकसान का मुआवजा उपयोगकर्ता संस्थान द्वारा दिया जाता है।

प्रश्न : 5 : किसी की निजी भूमि से हाई टेंशन लाईन के कॉरीडोर के लिए कोई मुआवजा दिया जाता है यदि दिया जाता है तो कितना व किस प्रकार ?

उत्तर : 5 : किसी की निजी भूमि से हाई टेंशन लाईन के कॉरीडोर के अंतर्गत निर्माण कार्य के दौरान हुए नुकसान के लिये मुआवजा दिया जाता है। पारेषण लाइन के निर्माण तथा उनके रख रखाव करने के दौरान होने वाली फसलों की क्षति का जिला राजस्व कार्यालय द्वारा एवं वृक्षों की क्षति का वन / बागवानी विभाग द्वारा निर्धारित किये गये दर से मुआवाजे का भुगतान पावरग्रिड द्वारा किया जाता है।